न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 29 / 2019

जी0सी0एम0एस0:–2019 / 00077

1. निहालसिंह । पिसरान भगवंत समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम सत्तर
2. रामरतन । का पुरा तहसील व जिला धौलपुर
3. रनवीर ।
4. शिवदेई ।

..................................वादीगण

बनाम

1. शम्भूदयाल । पुत्रगण भगवंत जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम सत्तर का पुरा तहसील व
2. जगदीश । जिला धौलपुर

_____ प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक 29.07.2025

निर्णय

वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 18.06.2019 को एक राजस्व वाद बाबत् बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 29.07.2024 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 12 दिनांक 02.01.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील प्रतिवादीगण ने इस आशय की आपत्ति पेश की है कि खसरा नम्बर 762 के पूर्व में रास्ता है और दक्षिण की ओर स्टेशन मनियां को जाने वाली सड़क है। तहसीलदार व पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 762 में से आधा रकवा रास्ते से लगा हुआ प्रतिवादी को दिया है, और आधा हिस्सा जो स्टेशन रोड पर लगता है वह वादी को दिया है। स्टेशन रोड़ पर लगते हुए भाग में से आधा हिस्सा वादी व आधा हिस्सा प्रतिवादी को दिया जाना चाहिए। पटवारी ने आदेश 20 नियम 18 और उसके अनुसार प्रस्ताव नहीं भेजे है। इसलिए पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण ने जबाब आपत्ति प्रस्तुत नहीं करते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही पिता की संतान है तथा सगे भाई है। तहसीलदार मनियां ने सही विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है, प्रतिवादीगण विवादित आराजी का बंटवारा नहीं चाहते है इसलिए प्रकरण के निस्तारण में देरी करने की नियत से आपत्ति प्रस्तुत की है। मौके पर दौराने जब तहसीलदार मनियां ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने प्रतिवादीगण को कहा तो वह विभाजन प्रस्ताव पर साफ इंकारी हो गये। विवादित आराजी खसरा नम्बर 762 पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मकानात बने हुए है। तहसीलदार मनियां ने विवादित आराजी पर खातेदारों के मकानात व कब्जे काश्त का रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है। प्रविवादीगण का 762 और 763 आराजी पर जहॉं पर कब्जा है वहीं पर उन्हें रास्ते के सहारे की जमीन दी गई। जो कि सही है। इसलिए दावा वादीगण विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक तैयार किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया, वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया, वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इस आशय की आपत्ति की है कि आराजी खसरा नम्बर 762 पूर्व

उपखण्डअधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

आपत्ति प्रस्तुत की है कि दक्षिण स्टेशन से लगी आराजी प्रतिवादीगण को दी जावे। वादीगण ने कथन किया है, कि विवादित आराजी तहसीलदार धौलपुर ने सही विभाजन किया है, खातेदार के मकान व कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार मनियां द्वारा विभाजन करते हुए सभी पक्षकारों को सडक के सहारे आराजी देते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है। आराजी खसरा नम्बर 762 पर प्रतिवादी संख्या 1 के मकान बने होने के कारण उसको मकान बने हुए हिस्से को दिया गया है। तहसीलदार मनियां द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव मुताबिक राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार मनियां द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय आपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 व 2 खारिज करते हुए दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 762, 763, 764, 765, 770, 771, स्थिति ग्राम मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1.	निहालसिंह पुत्र भगवंत कौम कुशवाह सा. सत्तर का पुरा खातेदार	762/1	0.2504 है0
2.	शम्भूदयाल पुत्र भगवंत कौम कुशवाह सा. सत्तर का पुरा खातेदार	762/2	0.1290 है0
		763/1	0.1214 है0
3.	रामरतन पुत्र भगवंत कौम कुशवाह सा. सत्तर का पुरा खातेदार	763/2	0.1821 है0
		764/1	0.0330 है0
		765/1	0.0353 है0
4.	रनवीर पुत्र भगवंत कौम कुशवाह सा. सत्तर का पुरा खातेदार	764/2	0.0910 है0
		765/2	0.1594 है0
5.	जगदीश पुत्र भगवंत कौम कुशवाह सा. सत्तर का पुरा खातेदार	764/3	0.0910 है0
		765/3	0.1594 है0
6.	शिवदेई पुत्री भगवंत हि. 30/58 निहालसिंह, शम्भूदयाल, रामरतन रनवीर जगदीश पिसरान भगवंत कौम कुशवाह हि0बरा0 28/58 सा. सत्तर का पुरा खातेदार	770	0.2529 है0
		771	0.3414 है0

कुल किता 12 रकवा 1.8463 हैक्टेयर बाकै ग्राम मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)